<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः— 15 / 15</u> संस्थापन दिनांकः—21 / 01 / 15 फाईलिंग नं. 233504001562015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. राजू पिता लक्ष्मण खातरकर, उम्र 40 वर्ष,
- 2. संगीता पति राजू खातरकर, उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी लालावाड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 18.10.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/24, 506 भाग—दो भाठदंठसंठ के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.01. 2015 को समय शाम 05:00 बजे या उसके लगभग ग्राम लालावाड़ी फरियादी के खेत के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी फूलाबाई खातरकर को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी फूलाबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2015 को फरियादी उसके खेत फसल देखने गयी थी। शाम करीब 5 बजे उसके खेत में जलाउ लकड़ी लेने अभियुक्तगण राजू एवं संगीता आये जिन्हें उसने लकड़ी ले जाने से मना किया तो इसी बात पर से उसे अभियुक्त संगीता ने गिरा दिया और हाथ मुक्को से मारपीट की। अभियुक्त राजू ने भी उसे हाथ मुक्के से मारपीट कर धक्का मुक्की की और उसे मादरचोद की गाली दी। दोनों अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारकर जमीन पर गाढ़ देने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 08/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के

कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी फूलाबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 फूलाबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद की गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी/फरियादी फूलाबाई (अ.सा.—1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र कोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरूद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरूद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध

को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी फूलाबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त संगीता यह बोल रही थी कि चीर डालेंगी और फाड़ डालूंगी तथा अभियुक्त राजू मारने के लिए बोल रहा था परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 7 फूलाबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को शाम 5 बजे वह अपने खेत से वापस आ रही थी। वहीं अभियुक्त राजू एवं संगीता उसके खेत के पेड से लकडी काट रहे थे। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया कि उसने अभियुक्तगण से यह कहा कि खेत मेरा है लकडी मत काटो तभी अभियुक्त राजू ने कहा कि खेत में मेरे बाप का हक है। फिर इसके बाद जब वह घर आने लगी तो अभियुक्त संगीता दौड कर आई और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया तथा अभियुक्त राजू कुल्हाडी लेकर आया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसी साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि जब वह रोते रोते घर की तरफ आ रही थी तो उसे रास्ते में भूता (अ.सा.—3) मिला था जिसे उसने घटना के बारे में बताया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंच गई तब अभियुक्त संगीता दोबार मारने के लिए आई थी परंतु मारी नहीं थी। साक्षी ने यक भी प्रकट किया कि उसे मारपीट से अंदरुनी चोट आई थी उसक मेडिकल मुलाहजा हुआ था और उसने थाना आमला में रिपोर्ट की थी।
- 8 रामदास (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि फरियादी फूलाबाई (अ.सा.—1) उसकी भाभी है। फूलाबाई ने ग्राम कोटवार के यहां पर जब शिकायत की तब उसे पता चला कि फूलाबाई को अभियुक्त संगीता ने मारा है। भूता (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि फूलाबाई (अ.सा.—1) उसकी भाभी है तथा वह रोते हुए उसके पास आई थी और बताया था कि अभियुक्त संगीता ने उसे धक्का देकर मारपीट की है। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि उसे फरियादी फूलाबाई ने यह भी बताया था कि विवाद लकडी काटने पर से हुआ था।
- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने दिनांक 05.01.15 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त दिनांक को आहत फूलाबाई

(अ.सा.—1) का परीक्षण किये जाने पर आहत के शरीर पर कोई चोट न होना पाते हुए केवल आहत की पीठ पर दर्द पाया था। उक्त साक्षी ने अपने द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किये हैं।

- 10 ओमप्रकाश यादव (अ.सा.—5) ने दिनांक 05.01.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 8/15 की केस डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर दिनांक 06.01.2015 को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—5) तैयार किया जाना तथा दिनांक 07.01.2015 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—7 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।
- वचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में रामदास एवं भूता फरियादी के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साथ ही ये अनुश्रुत साक्षी भी हैं। अतः इन साक्षियों के कथन से अभियोजन कथा प्रमाणित नहीं मानी जा सकती तथा फरियादी फूलाबाई की अभियुक्तगण से पूर्व से जमीन विवाद है तथा फरियादी के कथनों में पर्याप्त विरोधाभाष है। अतः एकमात्र फरियादी के कथनों पर अभियोजन कथा को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि रामदास (अ.सा.-2) एवं भूता (अ.सा.-3) अनुश्रुत साक्षी हैं। जिन्होंने अपने प्रति परीक्षण में अपने समक्ष घटना घटित होने से स्पष्ट रुप से इंकार किया है। फूलाबाई (अ.सा. -1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त संगीता के द्वारा धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया जाना बताया है तथा अभियुक्त राजू द्वारा कुल्हाडी लेकर आया जाना परंतु उसके द्वारा कुछ नहीं किया जाना बताया है। यद्यपि फूलाबाई से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर फूलाबाई ने यह सही होना बताया कि अभियुक्त राजू ने उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में यह सही होना बताया कि उसका अभियुक्तगण से जमीन को लेकर विवाद है। इसी पैरा में यह भी बताया कि अभियुक्तगण ने उसकी जमीन ले ली है तथा उसे वापस नहीं देते हैं इसी बात की नारजगी है। पैरा 8 में बचाव के सूझाव को सही बताया कि वह घटना की तीन माह तक अभियुक्तगण को समझाती रही। यह भी सही बताया कि यदि अभियुक्तगण उसके हिस्सें की जमीन दे देते तो वह उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करती। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह भी सही होना बताया कि अभियुक्गण ने उसके साथ कोई लडाई झगडा और गाली गलीच नहीं की थी।

अभियोजन कथा अनुसार लकडी के विवाद पर से अभियुक्त संगीता 13 ने फरियादी फुलाबाई को धक्का देकर गिरा दिया और हाथ मुक्के से मारपीट की तथा अभियुक्त राजू ने भी उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की। घटना दिनांक 04.01.15 की शाम 5 बजे की है। तथा घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन 05.01.15 को 12.45 बजे की गई। घटना स्थल से थाने की दूरी 10 किमी है। फूलाबाई के चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं पाई गई। केवल उसके पीठ में दर्द था। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त संगीता ने उसे धक्का देकर गिरा दिया इसके बाद अभियुक्त संगीता एवं राजू ने हाथ मुक्के से मारपीट की पर ऐसी स्थिति में आहत के शरीर पर किसी भी तरह की प्रत्यक्षदर्शी चोट ना होना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। विलंब से रिपोर्ट लेख कराए जाने का कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। फरियादी फूलाबाई ने अपने न्यायालयीन कथनों में अतिश्योक्तिपूर्ण कथन किए हैं तथा फूलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण से पूर्व से ही जमीनी विवाद का होना स्वीकार किया है। विवेचक साक्षी ओमप्रकाया यादव ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बचाव के सूझाव को सही बताया कि उसे विवेचना के दौरान यह तथ्य पता चल गया था कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य जमीनी विवाद है। ऐसी स्थिति में जहां उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य विद्यमान है। फरियादी के द्वारा अतिश्योक्तिपूर्ण कथन न्यायालय में किए गए हैं विलंब से रिपोर्ट लेख कराए जाने का कोई स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर नहीं है। फरियादी फुलाबाई के कथनों में पर्याप्त विरोधाभाष है। तब ऐसी स्थिति में एकमात्र फरियादी के कथनों पर अभियोजन के संपूर्ण मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी फूलाबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण राजू एवं संगीता को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 16 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)